भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 327
दिनांक 04.02.2020/15 माघ,1941 (शक) को उत्तर के लिए

उन्नत फोरेंसिक डीएनए प्रयोगशाला

† 327.श्री धनुष एम॰ कुमारः
श्री गौतम सिगामणि पोनः
डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीतः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या शासन ने निर्भया निधि योजना के तहत एक नई उन्नत फोरेंसिक डीएनए विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा धन आवंटन के साथ-साथ प्रति वर्ष मामलों की जांच करने की इसकी क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस नई उन्नत फोरेंसिक डीएनए विश्लेषण प्रयोगशाला द्वारा निपटाए जाने वाले मामलों की प्रकृति क्या है;

(घ) क्या सरकार ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इस प्रयोगशाला का उपयोग करने का प्रावधान किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने फोरेंसिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए संबंधित राज्यों में समान सुविधाएं स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या फोरेंसिक विज्ञान निदेशालय ने देश में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) की स्थापना की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान सीएफएसएल द्वारा किए गए अनुसंधान और विकास सम्बन्धी कार्य-कलापों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (ग) : निर्भया कोष योजना के अंतर्गत 99.76 करोड़ रुपये के आवंटन से सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, चंडीगढ़ में एक अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण केंद्र स्थापित किया गया है। इस सुविधा में यौन उत्पीड़न, मानव हत्या, पितृत्व, मानव पहचान और माइटोकॉण्ड्रियल डीएनए से संबंधित 2000 फॉरेंसिक मामलों की जांच करने की वार्षिक क्षमता मौजूद है।

(घ): जी, हां। डीएनए विश्लेषण केंद्र सहित केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को केंद्रीय सरकारी एजेंसियों, उच्चतर/निचली अदालतों, स्वायत्तशासी निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भेजे गये मामलों/अपराध सबूतों को प्राप्त करने के लिए अधिदेशित किया गया है।

(ङ): गृह मंत्रालय ने निर्भया कोष योजना के तहत 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के अंतर्गत डीएनए विश्लेषण एवं साइबर फॉरेंसिक इकाइयों की स्थापना किये जाने और उनको अपग्रेड किये जाने को अनुमोदित किया है। इसके अतिरिक्त, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम के अंतर्गत वार्षिक राज्य कार्ययोजना के भाग के रूप में डीएनए विश्लेषण सुविधाओं सहित, फॉरेंसिक विज्ञान सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए वर्ष 2019-20 में 25 राज्यों को 108.40 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

(च) और (छ): फॉरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय में छः केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं (सीएफएसएल) भोपाल (मध्य प्रदेश), चंडीगढ़, गुवाहाटी (असम), हैदराबाद (तेलंगाना), पुणे (महाराष्ट्र) और कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में स्थित हैं। पिछले तीन वर्षों में इन सीएफएसएल में किए गए अनुसंधान एंव विकास कार्यकलापों का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

वर्ष	**प्रकाशित हुए अनुसंधान पत्र**	**अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं**	**उभरते हुए क्षेत्रों में आवश्यकता आधारित अनुसंधान**
2016-17	21	2	2
2017-18	15	2	1
2018-19	34	2	2

*****